NCVT
MSME

BPT1927421
UDYAM-UP-21-0000725

उच्चतर माध्यमिक शिक्षा परिषद्

BOARD OF SENIOR SECONDARY EDUCATION

(AN ENTERPRISE UNDER MSMED ACT 2006)
MINISTRY OF MSME, GOVT. OF INDIA, NEW DELHI

परिषद् द्वारा संस्थाओ को हाईस्कूल तथा इण्टरमीडिएट परीक्षाओं हेतु निर्धारित मानकः–

किसी संस्था द्वारा परिषद के पास 10+2 हेतु मान्यता प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र सम्यक रुप से वांछित प्रमाण पत्रो सहित आनलाईन भरा जाएगा (परिषद के बेबसाईट से डाउनलोड आवेदन पत्र)। आवेदन पत्र 05/05/2022 से 30/05/2022 तक ही स्वीकार किए जाएंगे। आवेदन पत्र की दो हार्ड कापी परिषद के कार्यालय पता पर रजिस्टर्ड डाक से प्रेषित किया जाए। अपूर्ण रुप से आवेदन पत्रो पर कोई कार्यवाही नही की जाएगी। लीज के जमीन एवं मकान पर भी मान्यता जारी होगी। ग्रामीण, पिछडे एवं अति पिछडे क्षेत्र के आवेदको के लिए विशेष वरियता दी जायेगी। आवेदन यदि मानक के अनुसार नही पाया गया, तो उनका शुल्क किसी भी दशा मे वापस नही किया जायेगा। मान्यता हेतु निम्नलिखित शर्तें अनिवार्य होगीः–

1 भूमिः– मान्यता हेतु किसी संस्था द्वारा शहरी क्षेत्र में कम से कम 650 वर्गमीटर भूमि अनिवार्य होगी, जिसमें 160 वर्गमीटर खेल मैदान होगा। खेल मैदान विद्यालय से 200 मीटर की परिधि में भी हो सकता है। जबकी ग्रामीण क्षेत्र में संस्था के पास कम से कम 2000 वर्गमीटर भूमी अनिवार्य होगी, जिसमें 650 वर्गमीटर खेल मैदान होगा । खेल मैदान विद्यालय से 200 मीटर की परिधि में भी हो सकता है। इण्टरमीडिएट में कृषि वर्ग के लिए अलग से कृषि कार्य हेतु एक एकड की भूमि अनिवार्य होगी ।

2 भवनः– संस्था के पास भवन निम्नलिखित माप के पक्के (लिंटर्ड) होंगेः–

(1) 8 x 6 मीटर का पॉच शिक्षण कक्ष (1-5 Class)
(2) 8 x 6 मीटर का तीन शिक्षण कक्ष (6-8 Class)
(3) 8 x 6 मीटर का दो शिक्षण कक्ष (9-10 Class)
(4) 8 x 6 मीटर का अलग अलग वर्ग (कृषि,विज्ञान,कला,कामर्स आदि) के लिए दो–दो शिक्षण कक्ष (11-12 Class)

3 पुस्तकालयः– संस्था के पास 8 x6 मीटर का एक पुस्तकालय होगा।

4 प्रयोगशालाः– संस्था के पास निम्नलिखित प्रयोगशाला होगाः–

(1) 9 x 6 मीटर का एक प्रयोगशाला (1-10 Class)
(2) 9 x 6 मीटर का अलग–अलग वर्ग के लिए एक–एक प्रयोगशाल (भौतिक,रसायन,जीवविज्ञान,कामर्स आदि) (11-12 Class)

5 कामन रुमः– 6 x 5 मीटर का एक कामन रुम होगा (1-12 Class)

6 प्रधानाचार्य कक्षः– 4 x 3 मीटर का एक प्रधानाचार्य कक्ष होगा (1-12 Class)

7 प्रशासकीय कक्षः– 4 x 3 मीटर का एक प्रशासकीय कक्ष होगा (1-12 Class)

8 छात्र संख्याः– संस्था के प्रत्येक कक्षा में छात्र की संख्या कम से कम 30 और अधिक से अधिक 150 होगी। जिसमे अलग अलग सेक्शन होंगे।

9 फर्निचरः–प्रत्येक कक्षा में दस सेट बेंच होना अनिवार्य होगा। प्रत्येक बेंच पर छात्रो की बैठने की क्षमता अधिक से अधिक तीन होगी। संस्था के पास 20000/– रु का फर्निचर अनिवार्य है।

10 विज्ञान सामग्रीः– संस्था के पास 20000/– रु का वैज्ञानिक उपकरण होना आवश्यक है।

11 शिक्षण सामग्रीः– संस्था के पास 20000/– रु का शिक्षण हेतु सामग्री आवश्यक है।

12 किडा उपकरणः– संस्था के पास 20000/– रु तक का छात्रो हेतु खेल उपकरण होना आवश्यक है।

13 कृषि हेतु:– इण्टामीडिएट परीक्षा में कृषि वर्ग के लिए छात्रो को कृषि कार्य हेतु अलग से एक एकड की भूमि होना आवश्यक है।

14 कम्प्यूटर संयंत्र:– इण्टरमीडिएट परीक्षा हेतु कम्प्यूटर वर्ग के लिए कम से कम पॉच कम्प्यूटर अनिवार्य है। साथ ही पॉच कुर्सी और पॉच मेज भी आवश्यक है। एक से दूसरे कम्प्यूटर की दूरी लगभग तीन मीटर होनी चाहिए।

15 अग्निशमन उपकरण:– संस्था के पास आवश्यकतानुसार अग्निशमन यंत्रो का होना आवश्यक है,जो सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत हो।

16 भूकम्परोधी प्रमाण पत्र:– संस्था भवन का निर्माण National Building Code के सुरक्षा मानको के अनुरुप हो,जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत हो।

17 आबादी क्षेत्र प्रमाण पत्र:– सक्षम प्राधिकारी (प्रधान/समासद) द्वारा प्रमाण पत्र संस्था के पास होना चाहिए।

18 शौचालय:– संस्था के पास महिला और पुरुष के लिए अलग–अलग शौचालय होना आवश्यक है।

19 पेयजल व्यवस्था:– संस्था के पास छात्रो को शुद्ध पानी पीने की समुचित व्यवस्था का होना आवश्यक है।

20 पार्किंग:– संस्था के पास छात्रो की सुविधा के लिए पार्किंग की व्यवस्था आवश्यक है।

21 बिजली:– संस्था के पास छात्रो की सुविधा हेतु बिजली और जनरेटर की व्यवस्था होनी चाहिए।

22 शुल्क:– परिषद द्वारा वित्तीय लेन–देन और निर्धारित शुल्क परिषद के अध्यक्ष (केशवकान्त सिंह) के S.B.I. के A/c 40442372558, I.F.S.C. Code SBIN0002619, Salim Sarai 26, G.T. Road, Prayag Raj, U.P. में जमा होगी,जो निम्नलिखित है:–

(1) हाईस्कुल परीक्षा के लिए मान्यता के निमित्त – 20000/– रु
(2) इण्टरमीडिएट परीक्षा के लिए मान्यता के निमित्त – 20000/– रु
(3) इण्टरमीडिएट परीक्षा के अतिरिक्त वर्ग के लिए – 5000/– रु

परिषद् द्वारा किसी संस्था को इण्टरमीडिएट स्तर की मान्यता सीधे नहीं दी जाएगी। ग्रामीण एवं पिछडे क्षेत्र (जो आर्थिक क्षेत्र में पिछडा हुआ) के विकास के लिए शुल्क हेतू परिषद द्वारा समय–समय पर निर्धारित निर्णय मान्य होगा।

23 सत्र:– परिषद द्वारा जिन संस्थाओ को मान्यता प्रदान किया जाएगा, उनका सत्र 1 जुलाई 2022 से 30 जून 2023 तक का वार्षिक होगा। लेकिन प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयो (Class 1-8) का सत्र 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2022 होगा।

24 पाठ्यकम:– परिषद द्वारा जिन संस्थाओ को मान्यता प्रदान किया जाएगा, उन्हे स्पष्ट रुप से NCERT के पाठ्यकम को स्वीकार करना होगा। कोई संस्था यदि NCERT के पाठ्यकम के इतर कार्य करती है, तो संस्था के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही निरीक्षण अधिकारी द्वारा की जाएगी। इस परिस्थिति में परिषद् किसी भी संस्था की मान्यता स्थगित कर सकता है। परिषद् मुल्यांकन एवं परीक्षा पद्धति राज्य सरकार के मानको के अनुरुप अपने शैक्षिक किया–क्लापो को समय–समय पर निर्धारित मानको के अनुसार सम्पन्न कर सकती है।

25 टीचिंग स्टाफ:– संस्था के पास निम्नलिखित टीचिंग स्टाफ होना आवश्यक है:–

(1) संस्था के पास एक प्रधानाचार्य होना आवश्यक है, जिसकी योग्यता कम से कम M.A./M.Sc. और 5 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। अनुभव हो।
(2) संस्था के पास प्रत्येक विषय हेतु एक एक अध्यापक होना आवश्यक है, जिनकी योग्यता B.A./B.Ed.,B.Sc./B.Ed.,TET या M.A./M.Ed.,M.Sc./M.Ed. होनी चाहिए।

28 नान टीचिंग स्टाफ:– संस्था के पास निम्नलिखित नान टीचिंग स्टाफ होना आवश्यक है:–

(1) संस्था के पास दो बाबू होना आवश्यक है, जिनकी योग्यता इण्टरमीडिएट होगी।
(2) संस्था के पास दो चपरासी होना आवश्यक है,जिनकी योग्यता आठवीं पास होगी।
(3) संस्था के पास दो चौकीदार और दो स्वीपर होना आवश्यक है,जिनकी योग्यता पॉचवी पास होगी।

29 अन्य दस्तावेज:– संस्था के पास निम्नलिखित अन्य दस्तावेज भी आवश्यक है:–

(1) ट्रस्ट/सोसायटी का रजिस्ट्रेशन होना आवश्यक है।
(2) संस्था प्रबंधक का आधार कार्ड,पैन कार्ड और दो फोटो आवश्यक है।
(3) संस्था प्रबंधक का शपथ पत्र हेतु 100/– रु का स्टाम्प पेपर ।
(4) संस्था का मोहर और संस्था का Main Road से Link Road Map आवश्यक है।
(5) संस्था के भवन का नक्शा और फोटो का होना आवश्यक है।

Chairman